

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 5(ट-29)कोष/बी.एफ.सी./2021/60-100 दिनांक:-12/4/2021

1. समस्त कोषाधिकारी
राजस्थान।
2. भुगतान एवं लेखाधिकारी,
बीकानेर हाऊस, पण्डारा रोड़,
नई दिल्ली।

विषय:- माँग संख्या 25 के अन्तर्गत बजट शीर्ष "2054-00-097-(05)-(01) खजाना स्थापना में वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न विस्तृत मदों में बजट आवंटन।

महोदय,

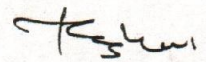
उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त (आय-व्ययक अनुभाग) विभाग के पत्र संख्या प.4(1)वित्त-1(1)/आ.व्यय/2021 दिनांक 30 मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान विधानसभा द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु मांगों को पारित कर दिया गया है। निम्न अंकित बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित करते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नियमानुसार आवंटित बजट का उपयोग किया जावे। (आवंटन प्रति संलग्न)।

1. बजट शीर्ष "2054-00-097-(05)-(01) खजाना स्थापना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए विभिन्न उपमदों में बजट आवंटन संलग्न परिशिष्टानुसार किया जाता है। राज्य सरकार एवं इस विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत नियमानुसार आवंटित बजट का उपयोग किया जावे।
2. यात्रा भत्ता, चिकित्सा व्यय एवं कार्यालय व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जावे। मार्च 2021 तक के यात्रा भत्ता तथा चिकित्सा बिलों के समस्त लंबित प्रकरणों का भुगतान नियमानुसार सुनिश्चित किया जावे एवं इस कार्यालय को अविलम्ब सूचित किया जावे। चिकित्सा व्यय मद के अन्तर्गत आवंटित बजट में विशेष प्रकरणों सहित नियमानुसार व्यय किया जावे।
3. प्रत्येक माह का मासिक व्यय मानचित्र, उपमदवार अलग-अलग तैयार कर इस विभाग को मासिक लेखों के साथ यथा-समय भिजवाया जावे। व्यय मानचित्र आई.एफ.एम.एस. व राजकोष से मिलान कर ही प्रेषित किया जावे।
4. आवंटित बजट का उपयोग आनुपातिक रूप से किया जाना सुनिश्चित करें ताकि व्यय पर पूर्ण नियंत्रण रह सकें।

5. अंक मिलान के समय पाया गया है कि वाउचर्स पर संबंधित व्यय मद की मोहर पूर्णतः एवं स्पष्ट अंकित नहीं की जाती है जिसके कारण महालेखाकार कार्यालय में सही मद में व्यय बुक नहीं हो पाता। अतः यह सुनिश्चित किया जावे कि जिस मद में राशि आहरित की जाये, बिल पर उसी उपमद की मोहर स्पष्टतः अंकित की जावे।
6. कोषाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि समस्त उपमदों में एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली पर ऑनलाईन आवंटित राशि के अधिक व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे। अधिक व्यय करने की स्थिति में संबंधित कोषाधिकारी व्यक्तिशः उत्तरदायी होंगे।
7. **मैन विद मशीन, कम्प्यूटर स्टेशनरी, कम्प्यूटर कन्ज्यूमेबल, की-बोर्ड/बैट्री एवं कम्प्यूटर रखरखाव पर होने वाले व्ययों का का भुगतान उपमद 62 कम्प्यूटराईजेशन एवं तत्संबंधी रखरखाव मद से नियमानुसार किया जावे।**
8. **कार्यालय व्यय में आवंटित राशि से पानी, बिजली एवं टेलिफोन के बिलों का भुगतान सर्वोच्च प्राथमिकता से करें।**
9. अपने अधीनस्थ कार्यालयों को किए जाने वाला बजट आवंटन एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन किया जावे।
10. वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी "राजकीय व्यय में मितव्ययता" परिपत्रों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाये।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(सर्वेश कुमार तिवाड़ी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ. 5(ट-29)कोष/बी.एफ.सी./2021/101-102 दिनांक:- 12/4/2021
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. उप निदेशक (आई.टी.) कार्यालय हाजा को डी.टी.ए. की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



अतिरिक्त निदेशक (कोष एवं बजट)

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राज. जयपुर

बजट मद 2054-00-097-(05)-(01) खजाना स्थापना वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत ~~अनुदान~~ बजट आवंटन

(राशि सहस्रों में)

क्र. सं.	क्र.सं.	कोषालय	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	09 किराया कर रायल्टी	36 वाहन किराया	37 वर्दिया	संविदा व्यय 4।	62 कम्प्यूटराईजेशन	कुल योग
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	अजमेर	50000.00	130.00	200.00	1000.00	0.00	300.00	10.20	0.00	1500.00	53140.20
2	2	अलवर	65000.00	550.00	250.00	1500.00	0.00	300.00	19.05	0.00	1700.00	69319.05
3	3	बांसवाड़ा	22000.00	140.00	30.00	1000.00	0.00	150.00	6.60	0.00	1200.00	24526.60
4	4	बारा	25000.00	150.00	20.00	1000.00	0.00	300.00	9.15	0.00	1300.00	27779.15
5	5	बाड़मेर	29000.00	160.00	20.00	700.00	0.00	300.00	5.85	0.00	1600.00	31785.85
6	6	ब्यावर	19000.00	40.00	20.00	700.00	0.00	150.00	4.95	0.00	350.00	20264.95
7	7	भरतपुर	58000.00	210.00	200.00	1000.00	0.00	300.00	6.60	0.00	1500.00	61216.60
8	8	भीलवाड़ा	40000.00	350.00	150.00	1000.00	0.00	300.00	10.50	0.00	1500.00	43310.50
9	9	बीकानेर	52000.00	320.00	50.00	1000.00	0.00	300.00	8.55	0.00	1000.00	54678.55
10	10	बून्दी	31000.00	200.00	50.00	700.00	0.00	300.00	10.80	0.00	1000.00	33260.80
11	11	चित्तौड़गढ़	30000.00	380.00	20.00	1000.00	0.00	300.00	12.15	0.00	1200.00	32912.15
12	12	चूरु	36000.00	320.00	50.00	1000.00	0.00	300.00	11.55	0.00	1100.00	38781.55
13	13	दौसा	30000.00	220.00	50.00	800.00	0.00	300.00	8.25	0.00	800.00	32178.25
14	14	धौलपुर	24000.00	160.00	50.00	700.00	0.00	300.00	8.85	0.00	800.00	26018.85
15	15	झुंजरपुर	20000.00	130.00	50.00	500.00	0.00	300.00	3.60	0.00	1000.00	21983.60
16	16	गंगानगर	41000.00	270.00	60.00	1000.00	0.00	300.00	7.20	0.00	1500.00	44137.20
17	17	हनुमानगढ़	33000.00	180.00	30.00	700.00	0.00	300.00	7.20	0.00	1000.00	35217.20
18	18	जयपुर (शहर)	49000.00	40.00	150.00	800.00	0.00	300.00	6.90	0.00	300.00	50596.90
19	19	जयपुर (ग्रामीण)	71000.00	440.00	250.00	1200.00	244.00	300.00	18.50	0.00	2000.00	75452.50
20	20	जयपुर (सचिवालय)	29000.00	30.00	200.00	200.00	0.00	300.00	3.60	0.00	1300.00	31033.60
21	21	जयपुर (पेंशन)	36000.00	0.00	80.00	500.00	150.00	300.00	3.60	0.00	1000.00	38033.60
22	22	जैसलमेर	15000.00	60.00	30.00	500.00	0.00	300.00	6.90	0.00	550.00	16446.90
23	23	जालौर	22000.00	120.00	80.00	700.00	0.00	300.00	8.55	0.00	1000.00	24208.55
24	24	झालावाड़	31000.00	110.00	100.00	700.00	0.00	300.00	9.90	0.00	1000.00	33219.90
25	25	झुन्झुनू	46000.00	320.00	50.00	800.00	0.00	300.00	4.95	0.00	1200.00	48674.95
26	26	जोधपुर (ग्रामीण)	44000.00	310.00	150.00	1100.00	0.00	300.00	8.55	0.00	1450.00	47318.55
27	27	जोधपुर (शहर)	23000.00	50.00	100.00	400.00	0.00	300.00	3.60	0.00	300.00	24153.60
28	28	कोटा	31000.00	250.00	150.00	1000.00	0.00	300.00	6.90	0.00	1000.00	33706.90
29	29	करौली	37000.00	70.00	80.00	500.00	0.00	300.00	8.25	0.00	1000.00	38958.25

क्र. सं.	क्र.सं.	कोषालय	01 संवेतन	03 यात्रा व्यय	04 चिकित्सा व्यय	05 कार्यालय व्यय	09 किराया कर रायल्टी	36 वाहन किराया	37 वर्दिया	संविदा व्यय	62 कम्प्यूटराईजेशन	कुल योग
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	30	नागौर	60000.00	350.00	100.00	1000.00	0.00	300.00	12.15	0.00	1500.00	63262.15
31	31	पाली	35000.00	350.00	100.00	800.00	0.00	300.00	8.55	0.00	1000.00	37558.55
32	32	प्रतापगढ़	12000.00	100.00	30.00	400.00	0.00	300.00	10.20	0.00	500.00	13340.20
33	33	राजसमन्द	22000.00	150.00	40.00	700.00	35.00	300.00	6.90	0.00	850.00	24081.90
34	34	सवाईमाधोपुर	36000.00	140.00	80.00	700.00	0.00	300.00	13.20	0.00	1000.00	38233.20
35	35	सीकर	44000.00	220.00	80.00	800.00	0.00	300.00	8.25	0.00	1000.00	46408.25
36	36	सिरोही	16000.00	220.00	80.00	500.00	0.00	300.00	4.95	0.00	700.00	17804.95
37	37	टोंक	19000.00	180.00	80.00	800.00	0.00	300.00	6.60	0.00	1000.00	21366.60
38	38	उदयपुर	36000.00	90.00	20.00	300.00	84.00	300.00	1.65	0.00	200.00	36995.65
39	39	उदयपुर (ग्रामीण)	39000.00	160.00	70.00	800.00	0.00	300.00	9.90	0.00	1400.00	41739.90
40	40	नई दिल्ली	4500.00	15.00	10.00	100.00	0.00	200.00	0.00	200.00	350.00	5375.00
		योग	1362500.00	7685.00	3410.00	30600.00	513.00	11600.00	323.60	200.00	41650.00	1458481.60